बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

===

निगरानी 2391-I-15

पुनरीक्षण क्र0- सन-2015

श्रीमती गीता पत्नी श्री आर0के0 गुप्ता

निवासी चौबे कालौनी ~~क्षत्रक~~ चौबे की चक्की के पास

छतरपुर तह0 वजिला छतरपुर म0प्र0 .. .आवेदिका

बनाम

1- अखिलेश असाटी तनय श्री शिवचरन असाटी

निवासी असाटी मुहल्ला छतरपुर तह0वजिला छतरपुर म0प्र0

2- देवेन्द्र अग्रवाल तनय श्री सुंदर लाल अग्रवाल

निवासी छतरपुर तह0वजिला छतरपुर म0प्र0

3- श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री डी0डी0 पटैरिया

निवासी सर्नासिटी के पास छतरपुर, तह0 वजिला छतरपुर म0प्र0

4- रामकृपाल तनय श्री भगवानदास विश्वकर्मा

निवासी चौबे कालौनी छतरपुर तह0वजिला छतरपुर म0प्र0

5- गनेश कुशवाहा

निवासी चौबे कालौनी छतरपुर तह0वजिला छतरपुर म0प्र0

6- म0प्र0 शासन .. .. अनावेदकगण

यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्र0क्र0-09/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04.06.12 से असंतुष्ट होकर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील प्र0क्र0-152/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक-30.09.13 के अनुक्रम में प्रस्तुत की गई है ।

=====================================

माननवर,

आवेदिका सादर निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2391-एक/2015 जिला-छतरपुर

श्रीमती गीता विरूद्ध अखिलेश असाटी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार तहसील छतरपुर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 09/अ-3/2011-12 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 04-06-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/2019

(आर.के. जैन)
सदस्य